रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 708] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2010/पौष 7, 1932

No. 708] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2010/PAUSHA 7, 1932

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 1021(अ).—राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास नियम, 2000 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास नियम, 2010 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास नियम, 2000 के नियम 15 में, उप-नियम (3) हटा दिया जाए।

[फा. सं. 1-22/2009-डीडी-IV]

श्रीमती पूर्णिमा सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 639(अ), तारीख 26 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तदपश्चात् सा.का.नि. 201(अ), तारीख 8 मार्च, 2002 और सा.का.नि. 478(अ), तारीख 15 जुलाई, 2005 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2010

G.S.R. 1021(E).—In exercise of the powers conferred by Section 34 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Turst for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Rules, 2000, in rule 15, sub-rule (3) shall be omitted.

[F. No. 1-22/2009-DD-IV]

SMT. PURNIMA SINGH, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 639(E), dated the 26th July, 2000 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R. 201(E), dated the 8th March, 2002 and G.S.R. 478(E), dated the 15th July, 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 1022(अ).—राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 35 की उप-धारा (1) और (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से न्यास बोर्ड विनियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को न्यास बोर्ड (संशोधन) विनियम 2010 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. न्यास बोर्ड विनियम, 2001 में, विनियम में, उप-विनियम 16 के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम शामिल किया जाए अर्थात् :—

"(16क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पदावधि—जब तक केन्द्र सरकार द्वारा अन्यथा निदेश दिए जाएं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पदावधि उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।"

[फा. सं. 1-22/2009-डीडी-IV]

श्रीमती पूर्णिमा सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 579(अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे और तद्न्तर 16 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 123(अ) और दिनांक 27 जून, 2006 के सा.का.नि. 403(अ) के तहत इनमें संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2010

G.S.R. 1022(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 35 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), the Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Board of the Trust Regulations, 2001, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Board of the Trust (Amendment) Regulations, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of the Trust Regulations, 2001, in regulation 3, after sub-regulation (16), the following sub-regulation shall be inserted namely :—

"(16A) Term of office of the Chief Executive Officer - Unless otherwise directed by the Central Government, the term of the office of the Chief Executive Officer shall be for a period of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty years, whichever is earlier."

[F. No. 1-22/2009-DD-IV]

SMT. PURNIMA SINGH, Jt. Secy.

Note :— The principal regulations were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 579(E), dated the 3rd August, 2001 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R 123(E), dated the 16th February, 2004 and G.S.R. 403(E), dated the 27th June, 2006.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.